



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१९/।७५

फॉर्म: उ०२/४ २४५४५
फैक्स: ०५२७८ २४८१२३

दिनांक : ३०।५। २०१९

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-१४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक ३०-०५-२०१९ के अनुपालन में बाबा एजूकेशनल सोसाइटी, इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल्स, कालेज आफ नर्सिंग, ५६ मटियारी, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ को स्नातक स्तर पर नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत बी०एस-सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित ४० सीटों से बढ़ाकर ८० सीटों (अर्थात् ४० सीटों की वृद्धि) की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१८-१९ से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

- संस्था/महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र २०१८-१९ से इस प्रतिबन्ध के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि उक्त पाठ्यक्रम की प्रतिवर्ष आई०एन०सी० को वैधता नवीनीकरण हेतु जो पत्रावली प्रेषित की जाय उसकी प्रति एवं आई०एन०सी० से प्राप्त मान्यता की स्वीकृति का पत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय, इसके पश्चात ही किये गये प्रवेश मान्य होंगे। उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/आई०एन०सी० द्वारा जिस सत्र की मान्यता प्राप्त नहीं होगी उस सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेंगे।
- संस्था उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा नर्सिंग कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी व उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिल्ड्रिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० एवं सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा आई०एन०सी० रेयुलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी। सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/आई०एन०सी० द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या के अनुसार ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होंगे। संस्था/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति कालातीत होने के पूर्व नवगठित प्रबन्ध समिति का अन्यतन अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा उ०प्र० शासन, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, आई०एन०सी० एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, पैन कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- मा० जच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन में मानकानुसार २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक २२ मई, २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा आई०एन०सी० के मानकानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं महाविद्यालय में DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
 - प्रबन्धक, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी, इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल्स, कालेज आफ नर्सिंग, ५६ मटियारी, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ।
 - परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
 - निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
 - प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि इस प्रति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव